न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 134/2014 (धारा 76 भू–राज0अधि01956) (RCMS No.2014/00100)

1. सरवन सिंह पुत्रान सूबसिंह जति जाट सिक्ख निवासी ग्राम चक नाऊ
2. जीतेन्दरसिंह (अघापुर) तह0 व जिला भरतपुर हाल आबाद ग्राम रनिया तह0 व जिला गुरदासपुर (हरियाणा)

.....अपीलान्टस

बनाम

1. अमरजीत सिंह
2. हरप्रीत सिंह

पुत्रान हरवंश सिंह जाति जाट निवासी चक नाऊ (अघापुर) तहसील व जिला भरतपुर।

3. ग्राम पंचायत अघापुर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत अघापुर तहसील व जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी भरतपुर दिनांक 9.10.2014 व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 607 वाकै ग्राम अघापुर तहसील भरतपुर दिनांक 8.9.2009

उपस्थितिः–

1. श्री दुलीचंद शर्मा वकील अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः– 27.02.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्डाधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 9.10.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम पंचायत अघापुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 8.9.2009 नामान्तरकरण संख्या 607 वसीयत के आधार पर रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के हक में तस्दीक किया गया। जिसको अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत उपखण्डाधिकारी भरतपुर के समक्ष यह कहते हुये चुनौती दी गई कि ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाधीन दाखिल खारिज संख्या 607 बिना अपीलान्ट को सुने एवं एक कूटरचित अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर खोला गया है जो निरस्त योग्य है। तहत अदालत उपखण्डाधिकारी भरतपुर द्वारा बाद कार्यवाही प्रकरण में अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.10.2014 पारित कर यह मानते हुये कि सरपंच ने दिनांक 8.9.2009 को नामान्तरकरण को तहसीलदार भरतपुर के आदेश दिनांक 21.8.2009 से स्वीकृत किया गया है जिससे यह स्पष्ट है कि वसीयतनामा का पूर्ण परीक्षण तहसीलदार द्वारा करने पर ही आज्ञा दिनांक 21.8.2009 पारित की गई है। अपीलान्ट यह सिद्ध नहीं कर सके है कि उनके द्वारा उक्त अनरजिस्टर्ड वसीयत को किसी सक्षम अदालत में चुनौती दी गई हो, अपील अपीलान्ट खारिज कर दी गई। इस अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.10.2014 के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील रैस्पोडेन्ट उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

27.2.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.10.2014 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि नामान्तरकरण 607 वाकै ग्राम चक नाऊ अघापुर की भूमि बावत अपीलान्टस के पिता सूबसिंह ने कोई वसीयत रैस्पोडेन्ट के हक में कभी नही की है। अतः उस पर रैस्पोडैन्ट के नाम दर्ज व तस्दीक नहीं किया जा सकता है। यदि कोई वसीयत है तो वह कूटरचित है तथा रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा कारित की गयी होगी। रैस्पोडेन्ट नम्बर 3 ग्राम पंचायत द्वारा उसकी सही जांच किये बिना नामान्तरकरण अवैधानिक तरीके से रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 से मिलकर तस्दीक कर दिया है जो काबिले मंसूखी है। सुयोग्य अधीनस्थ हर दो अदालतों ने इस तथ्य पर भी कोई गौर नहीं किया है कि अन रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर कोई नामान्तरकरण कानूनन दर्ज व तस्दीक नहीं किया जा सकता है। आदेश नामान्तरकरण अवैध व शून्य प्रभाव लिये हुए है एवं ग्राम पंचायत के अधिकारिता क्षेत्र से बाहर होने के कारण काबिले खारिजे है। तहत अदालत ने इस बात पर गौर नहीं किया है कि ग्राम पचायत के द्वारा अपीलान्ट को कोई नोटिस नही दिया गया। और न तो वसीयत की सत्यता एवं वैधानिकता की जांच की गयी और ना ही मृतक के वारिसान की जांच की गयी तथा वारिसान को भी सुनवाई का कोई उचित अवसर भी प्रदान नहीं किया। बिना अपीलान्ट को सुने उक्त आदेश पारित किया गया है जो कि न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। इसलिऐ तहत अदालत उपखण्डाधिकारी भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.10.2014 काबिले मंसूखी है। विवादित भूमि पर अपीलान्टस काबिज खातेदार काश्तकार है। रैसपोडेन्ट का उक्त भूमि से कोई सरोकार कोई लेना देना नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण के नियमों को ताक पर रखकर मन मर्जी से बिना किसी आधार के अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। नामान्तरकरण की जांच भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा किये जाने का उल्लेख किया गया है। परन्तु इस तरह की कोई जांच नामान्तरकरण संबंधी पत्रावली में नहीं है। उक्त नामान्तरकरण एक फर्जी दस्तावेज पर बिना सोचे समझे तस्दीक कर दिया गया है जो न्याय संगत नहीं है। इसके अलावा नामान्तरकरण को ग्राम पचांयत के कोरम के समक्ष भी प्रस्तुत नहीं किया गया है व सरपंच ने व्यक्तिगत स्तर पर ही नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया है जो कि अवैधानिक है व काविल खारिजी के है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.10.2014 व ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 607 दिनांक 8.9.2009 निरस्त किया जावे। तथा विवादित भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्टस के हक में दर्ज कर तस्दीक किये जाने के आदेश दिये जावें।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन निर्णय स्पीकिंग व तथ्यों पर आधारित होने के कारण इसमें किसी तरह की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है। क्योंकि अपीलाधीन निर्णय में विद्वान उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने यह उल्लेख किया है कि दाखिला खारिज संख्या 607 को पटवारी ने दिनांक 24.08.2009 को तहसीलदार भरतपुर के

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

आदेश कमांक 2946 दिनांक 21.08.2009 की पालना में भरा है। जिसे भू–अभिलेख निरीक्षक ने दिनांक 26.08.2009 को जांचा है। सरपंच ने दिनांक 08.09.2009 को स्वीकृत किया हैं। इस निर्णय में यह भी उल्लेख किया है कि वसीयतनामा का पूर्ण परीक्षण तहसीलदार द्वारा करने पर ही आज्ञा दिनांक 21.08.2009 को पारित की गयी है। अपीलान्ट ने अपने मीमो आफ अपील में यह कही भी अंकित नहीं किया कि उन्होंने उक्त अनरजिस्टर्ड वसीयत को किसी अन्य रिकार्ड से निरस्त करा लिया हो। इस निर्णय में यह भी उल्लेख किया गया है कि अपंजीकृत वसीयत के विवाद को निर्णित करना या इस तरह की वसीयत की वैधता के संबंध में किसी तरह का कोई निष्कर्ष दिये जाने हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं हैं। वसीयत उपहार एवं उत्तराधिकार के प्रकरण नामा0 संबंधी प्रकिया में निस्तारित नहीं किये जा सकते हैं। इस आधार पर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.10.2014 के द्वारा खारिज किया गया है जो कि उचित है।

जहां तक वकील अपीलान्ट द्वारा मीमो आफ अपील व बहस में वर्णित यह तर्क कि भू–अभिलेख निरीक्षक ने पटवारी हल्का द्वारा भरे गये नामा0 की जांच नहीं की, सारहीन हो जाता है। क्योंकि नामा संख्या 607 पर ही भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि तहसीलदार भरतपुर के आदेश व निर्णय दिनांक 19.08.2009 की पालना में किया गया अंकन सही है। इसी प्रकार वकील अपीलान्ट का यह तर्क कि नामा0 संख्या 607 को सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत के कॉरम में नही रखकर स्वयं के स्तर से ही स्वीकृत किया गया है, भी सारहीन हो जाता है। क्योंकि नामा0 संख्या 607 की पुस्त पर यह उल्लेख है कि ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 08.09.2009 में पारित प्रस्ताव संख्या 1(4) के अनुसार नामा0 संख्या 607 पटवारी, गिरदावर, पंचों की रिपोर्ट के आधार पर कॉलम संख्या 9 लगा0 13 का इन्द्राज स्वीकार है, अर्थात् उक्त नामा0 ग्राम पंचायत के कॉरम द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.10.2014 में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.10.2014 व नामान्तरकरण संख्या 607 दिनांक 08.09.2009 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.2.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर